दूरभाष – 05278-245957
फैक्स – 05278-248123

डा0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या, (उ0प्र0)

पत्रांकः लो0अ0वि0 / सम्ब0 / 2020 / 1531 दिनांक : 15/07/.2020

सम्बद्धता आदेश

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–1973 (यथासंशोधित) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2014) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–14 सन् 2014) की धारा–37(2) के अन्तर्गत उच्च स्तरीय सम्बद्धता समिति की अनुशंसा **दिनॉक 14–07–2020** एवं विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 13(6) के अन्तर्गत कुलपति महोदय की अनुमति दिनांकः 15.07.2020 से **गनपत सहाय विधि महाविद्यालय, सुल्तानपुर को स्नातक स्तर पर विधि संकाय के अन्तर्गत एल0एल0बी0 (त्रिवर्षीय) पाठ्यक्रम** को संचालित किये जाने हेतु निरीक्षण मण्डल की संस्तुति सहित आख्या के उपरान्त निम्नलिखित कमियों एवं प्रतिबन्धों के अधीन दिनॉकः 01.07.2020 से आगामी तीन वर्षो हेतु सशर्त सम्बद्धता प्रदान किया जाता है–

1. महाविद्यालय / संस्था द्वारा उपरोक्त इंगित सभी कमियों एवं शर्तों का निराकरण एवं माह के अन्दर करते हुए विश्वविद्यालय को शपथ पत्र के माध्यम से सूचित किया जायेगा कि महाविद्यालय द्वारा समस्त कमियों को पूरा कर लिया गया है ।
2. महाविद्यालय / संस्था द्वारा सम्बद्धता प्राप्त की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी मानको को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा अगले शैक्षिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
3. जिन संस्थानों / महाविद्यालयों के सशर्त सम्बद्धता / सम्बद्धता की पूर्वानुमति के निर्गत आदेशों में इंगित कमियों यथा–प्राभूत का नवीनीकरण, अग्निशमन प्रमाण पत्र का नवीनीकरण व एन0बी0सी0 प्रमाण–पत्र सक्षम स्तर से निर्गत न होने की कमी का निराकरण कक्षायें प्रारम्भ होने से पूर्व कराया जाय तथा विश्वविद्यालय उक्त महाविद्यालय के सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निर्गत करते हुए उपरोक्त कमियों की पूर्ति से सम्बन्धित अभिलेख महाविद्यालयों से एक माह में प्राप्त कर लेगा। संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान / महाविद्यालय, सम्बद्धता की शर्ते निरन्तर पूरी कर रहा है।
4. **महाविद्यालय द्वारा बार काउन्सिल आफ इण्डिया, नई दिल्ली की अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही छात्रों के प्रवेश लिए जाएंगे। महाविद्यालय को बार काउन्सिल ऑफ इण्डिया से पाठ्यक्रम की अनुमति के सत्र से सम्बद्धता के उद्देश्य से सत्र की गणना की जाएगी।**
5. **संस्था / महाविद्यालय बार काउन्सिल ऑफ इण्डिया द्वारा स्वीकृत सीटों के सापेक्ष प्रवेश की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।**
6. महाविद्यालय / संस्था शासनादेश संख्याः 2851 / सत्तर–2–2003–16(92) / 2002 दिनांक 2 जुलाई, 2003 मे उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय मे समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किये जाने वाले मानकों तथा शासन द्वारा निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों एवं दिये जाने वाले समस्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी।
7. महाविद्यालय / संस्था विश्वविद्यालय की परिनियमावली / अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नही किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्वता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
8. महाविद्यालय / संस्था को सम्बद्धता आदेश प्रबन्धतंत्र द्वारा प्रमाणित प्रपत्रों एवं सूचनाओं के आधार पर जारी किया जा रहा है। प्रमाणित पत्रों / सूचनाओं के असत्य पाये जाने की दशा में महाविद्यालय को प्रदत्त सम्बद्धता स्वतः समाप्त हो जायेगी।
9. शासनादेश के अनुसार अध्यापको की नियुक्ति, अनुबन्ध पत्र एवं बैंक के माध्यम से वेतन का भुगतान तथा सी0पी0एफ0 की कटौती शासनादेश के अनुसार सुनिश्चित की जायेगी।
10. अनुमोदित अध्यापकों का बायोडाटा, अनुबन्ध पत्र वेतन भुगतान का विवरण वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें जिससे विश्वविद्यालय द्वारा उनका भौतिक सत्यापन किया जा सके एवं निर्देशित किये जाने पर उन्हे विश्वविद्यालय में उपस्थित करना होगा।
11. प्रत्येक वर्ष **AISHE** के **PORTAL** पर **DCF-II** से सम्बन्धित सूचनाएं अपलोड कराना अनिवार्य होगा।

उप कुलसचिव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रबन्धक, **गनपत सहाय विधि महाविद्यालय, सुल्तानपुर** ।
2. परीक्षा नियन्त्रक, डॉ0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या।
3. निजी सचिव कुलपति, कुलपति जी के सूचनार्थ।
4. प्रोग्रामर, ई0डी0पी0 सेल को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त प्रति विश्वविद्यालय की वेबसाइट एवं कालेज लाग–इन पर अपलोड कराये जाने हेतु।

उप कुलसचिव